"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2001 अग्रहायण 15 शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ /10-332/2001/वाक/पांच (74)—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1682/एफ—10-332/2001/वाक/पांच (38) में शब्द "अन्य प्रकार के दूरसंचार केबल्स" के पश्चात् शब्द तथा एच.डी.पी.ई./पी.व्ही.सी. डेनीकाम डक्ट्स को जोड़ा जाये.

यह अधिसूचना 10-08-2001 से प्रभावशील मानी जावेगी.

Raipur, the 6th December 2001

NOTIFICATION

No. F/10-332/2001/CT/V/(74)—In this department notification No. 1682/F-10/332/2001/CT/V(38) dated 10-08-2001 after the words "Cables of other types" the words" and HDPE/PVC ducts" shall be added.

This notification shall be deemed to be effective with effect from 10-08-2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुशार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001.